उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1
संख्या–2076/58–1–2000–175/75
लखनऊःदिनांकः01 सितम्बर, 2000

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश, फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 1976 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–21, सन् 1976 की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2000

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) प्रथम संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायेगी।

नियम–5 का संशोधन

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 1976, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है के नियम 5 में नीचे स्तंभ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–5 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तंभ–1	स्तंभ–2
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
किसी फल पौधशाला के संबंध में लाइसेंस देने के लिए एक कलैण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस फीस और अनुवर्ती वर्ष के लिए लाइसेंस की नवीनीकरण की फीस निम्नलिखित होगी।	फल पौधशालाओं के संबंध में लाइसेंस देने के लिए एक कलैण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए और अनुवर्ती वर्ष के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की फीस निम्नलिखित होगी।

क्र0 सं0	पौधशाला का क्षेत्र	लाईसेंस फीस रू0	नवीनीकरण की फीस रू0	क्र0 सं0	पौधशाला का क्षेत्र	लाईसेंस फीस रू0	नवीनीकरण की फीस रू0
एक	0.2 और 0.5 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल की फल पौधशाला	50	25	एक	0.2 और 0.5 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल की फल पौधशाला	250	125
दो	0.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2 हेक्टेयर से कम	200	100	दो	0.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल की फल पौधशाला	1000	500
तीन	2 हेक्टेयर और इससे अधिक क्षेत्रफल की फल पौधशाला	500	250	तीन	2 हेक्टेयर और इससे अधिक क्षेत्रफल की फल पौधशाला	2500	1250

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/–
(राय सिंह)
प्रमुख सचिव

अधिसूचना संख्या–2076/58–1–2000–175, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(मै0क्षे0) उ0प्र0, लखनऊ।

क्रम"ाः 2 पर

2– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(पर्व0क्षे0) चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा।
3– अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय,ऐशबाग, लखनऊ का इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्टि के भाग–4 खण्ड''ख'' में अवश्य प्रकाशित करा दें।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0, विज्ञापन प्रभाग, लखनऊ को व्यापक प्रसार हेतु।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/–
(गया प्रसाद कमल)
अनु सचिव

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै0क्षे0),उ0प्र0
2–सप्रू मार्ग, लखनऊ।

पत्रांकःडी0एच0 3044–3246/ उद्यान पौधशाला/ दिनांकः 12 सितम्बर, 2000

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– संयुक्त निदेशक, आ0प्र0एवं प्र0 केन्द्र, सहारनपुर, बस्ती।
2– समस्त उप निदेशक उद्यान (मै0क्षे0) उ0प्र0।
3– मु0उ0वि0, औ0प्र0एवं प्र0 के0, मलिहाबाद(लखनऊ), खुशरूबाग(इलाहाबाद)
4– समस्त जिला उद्यान अधिकारी (मै0क्षे0) उ0प्र0।
5– समस्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान (मै0क्षे0) उ0प्र0।
6– समस्त आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी (मै0क्षे0) उ0प्र0।
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी (मै0क्षे0) उ0प्र0।
8– निदेशालय के समस्त श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के अधिकारी।
9– सिट्रस विशेषज्ञ, औ0प्र0एवं प्र0 के0, बरूआसागर, झॉसी।
10– पान शोध अधिकारी, महोबा,(मै0क्षे0) उ0प्र0।
11– आवंला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़,(मै0क्षे0) उ0प्र0।

ह0/–
(एम0एम0 सिन्हा)
निदेशक।

क्र0सं0—2021—(ख) रजिस्टर्ड ग0ए0डी0—4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग—4 खण्ड—(ख)
उत्तर प्रदेश अधिसूचना

लखनऊ बुद्धवार, 13 अक्टूबर, 1976
आश्विन 21, 1898, शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार,
कृषि अनुभाग—4

संख्या 6275/12(4)—175—75
लखनऊ,13 अक्टूबर, 1976

अधिसूचना

प0आ0—96—

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 1976 (उ0प्र0) अधिनियम सं0—21 ,1976 की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः—

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 1976

संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं

1— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 1976 कहलायेगी।
(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रयुक्त होगी।

2— इस नियमावली में :—
(एक) ''कलैण्डर वर्ष'' का तात्पर्य 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की 12 मास की अवधि से है।
(दो) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,
(तीन) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 से है।
(चार) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,
(पॉच) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदो ंके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं,

लाइसेंन्स के निबन्धन एवं शर्ते धारा—4 और 5

3— अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन दिया गया था, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नवीकृत लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन हो—

(1) फल पौधशाला की मिट्टी विशेष प्रकार के ऐसे फल के पौधों के जिनके सम्बन्ध में लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाय, उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

(2) फल पौधशाला में फल के पौधों के वानस्पतिक उत्पादन के लिए मातृ पौधे और मूलवृन्त है।

(3) मातृ पौधे और मूलवृन्त रोग और नाशिकीट से मुक्त हैं।

(4) रोग और नाशिकीट के संक्रमण को रोकने के लिए रोग निरीक्षण पौधे संरक्षण प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(5) लाइसेंस को सदैव फल पौधशाला के परिसर में रखा जायेगा और लाइसेंस प्राधिकारी के मांगने पर, उसे निरीक्षण और जाच करने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) लाइसेंसधारी पौधशाला के फल के पौधों, मातृ पौधों और मूल वृन्तों में किसी रोग या नाशिकीट के फैलने और उस रोग और नाशिकीट का नियंत्रण करने के लिए की गयी कार्यवाही की सूचना लाईसेंस प्राधिकारी को देगा।

(7) लाईसेंसधारी केवल उन पौधों का उत्पादन और विक्रय करेगा जिनके लिए लाईसेंस दिया गया है।

(8) लाइसेंसधारी द्वारा तैयार किया गया और विक्रय के लिए प्रस्तुत किया गया कलम निम्नलिखित विशिष्टियों का होगाः–

(एक) किसी फल के पौधों की आयु फल के पौधे को यथास्थिति, कलम लगाने का उसके बीज बोने के समय से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) मूलवृन्त और उपरोपिका पूरी तरह से मिले हुए हैं।

(तीन) मूलवृन्त से उपरोपिका का संयोजन भू–तल से 30 से0मी0 से अधिक नहीं होगा।

(9) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम,1976 में विहित प्रपत्रों में विभिन्न अभिलेख रखेगा।

(10) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976

और उसके अधीन बनाये गये नियमों के विभिन्न उपबन्धों का पालन और अनुपालन करेगा और व्यतिक्रम या उल्लंघन करने की स्थिति में उसे अधिनियम की धारा–14 के अधीन यथास्थिति जुर्माने से जो 5000 रूपये तक हो सकता है या कारावास में जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकती है, या दोनो में दण्डित किया जायेगा।

(11) ऐसे फल के पौधों को जो मानक के अनुसार नहीं होंगे, लाइसेस प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर देना होगा।

लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्र धारा–4(1)

4– (एक) धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस देने के लिए आवेदन–पत्र प्रपत्र सं0–1 में होगा। यह दो प्रतियों में दिया जायेगा और आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होगा, परन्तु आवेदक ऐसी अतिरिक्त सूचना देने के लिए बाध्य होगा जिसे लाइसेंस प्राधिकारी अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस देने के लिए अपेक्षा करे।

(दो) आवेदन–पत्र जिले के जिला उद्यान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिला उद्यान अधिकारी समय–समय पर निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, उ0प्र0 द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार आवेदन–पत्र की अन्तः वस्तुओं का सत्यापन करेगा और विहित अवधि के भीतर आवेदन–पत्र लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(तीन) जहाँ आवेदक एकाधिक फल पौधशाला के सम्बन्ध में लाइसेंस लेगा वहाँ वह प्रत्येक फल पौधशाला के लिए पृथक–पृथक आवेदन–पत्र देगा।

(चार) उपर्युक्त उपनियम (एक) और (तीन) में निर्दिष्ट आवेदन–पत्रों के साथ मूल चालान होगा, जिसमें उक्त नियम के उपनियम (2) में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अंतर्गत कोषागार में उक्त नियम में विर्निदिष्ट लाइसेंस फीस का जमा किया जाना दिखाया गया हो।

लाइसेन्स और नवीनीकरण फीस धारा–4 और धारा–5

5– (1) किसी फल पौधशाला के सम्बन्ध में लाइसेंस देने के लिए एक कैलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस फीस और अनुवर्ती वर्ष के लिए लाइसेंस की नवीनीकरण की फीस निम्नलिखित होगी।

क्र0सं0	**पौधशाला का क्षेत्र**	**लाईसेंस फीस रूपया**	**नवीनीकरण फीस रूपया**
(एक)	0.2 और 0.5 हेक्टेयर बीच के क्षेत्रफल की पौधशाला	50	25
(दो)	0.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र की फल पौधशाला	200	100
(तीन)	2 हेक्टेयर और इससे अधिक क्षेत्र की फल पौधशाला।	500	250

(2)– फीस लेखाशीर्षक ''105– कृषि– कृषि सम्बन्धी प्राप्तियॉ– अन्य प्राप्तियॉ– फल पौधशाला लाइसेंस फीस'' के अन्तर्गत चालान द्वारा कोषागार में जमा की जायेगी।

6– धारा– 4 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेंस प्रपत्र संख्या–2 में होगा।

लाइसेन्स का प्रपत्र धारा–4 लाइसेन्स कअवधि धारा–5

7– धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेंस एक कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और वह लाइसेंस दिये जाने के दिनांकः के आगामी 31 दिसम्बर को समाप्त होगा।

लाइसेन्स का नवीनीकरण धारा–5

8– धारा–4 के अधीन दिये गये लाइसेंस का नवीनीकरण समय–समय पर नियम–9 के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन–पत्र देने पर और नियम–5 के अधीन विहित नवीनीकरण फीस लेने पर एक कलैण्डर वर्ष के लिए किया जायेगा।

लाइसेन्स क नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र धारा–5

9– धारा –4 की उपधारा –(1) के अधीन दिये गये लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र प्रपत्र सं0–3 में होगा और उसके साथ मूल कोषागार चालान होगा जिसमें इस नियमावली के नियम–5 के अनुसार फीस का जमा किया जाना दिखाया गया हो।

लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक धारा–5

10– (1) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र उस वर्ष के, जिसके लिए लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित हो, पूर्ववर्ती वर्ष के 31 अक्टूबर तक जब तक कि सरकार द्वारा दिनांक बढ़ाया न जाय, लाइसेंस पाधिकारी के पास पहुॅच जाना चाहिए।

(2) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र के साथ धारा–4 के अधीन दिया गया लाइसेंस भेजा जायेगा।

नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र विलम्ब फीस सहित प्रस्तुत किया जाना

11– (1) नियम–10 के उपनियम–1 में विर्निदिष्टि दिनांक के पश्चात और 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये गये लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन–पत्र पर भी लाइसेंस प्राधिकारी, विहित नवीनीकरण फीस और उक्त लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए विहित फीस की राशि के आधे के बराबर विलम्ब फीस देने पर विचार करेगा।

(2) फीस और विलम्ब फीस इस नियमावली के नियम–5 के उपनियम– (2) में विर्निदिष्ट लेखाशीर्षक के अन्तर्गत कोषागार चालान के द्वारा कोषागार में जमा की जायेगी।

लाइसेन्स की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए फीस और उसकी प्रक्रिया धारा–8

12– (1) यदि कोई लाइसेंस खो जाय या नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय तो इस नियमावली के नियम–5 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत चालान द्वारा कोषागार में 10/– रू0 की फीस जमा करने पर लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी की जा सकती है।

(2) लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्रपत्र सं0–4 में दिया जायेगा और उसके साथ उपर्युक्त उपनियम–(1) में विर्निदिष्ट फीस जमा करने का मूल चालान होगा।

(3) यदि किसी ऐसे लाइसेंस को, जो खो जाय या नष्ट हो जाय, प्रतिस्थापित करने के लिए लाइसेंस की दूसरी प्रति अपेक्षित हो तो आवेदक प्रपत्र सं0–5 में क्षति पूर्ति बन्द निष्पादित करेगा।

(4) आवेदक लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन–पत्र के साथ उस लाइसेंस को जो फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय, लाइसेंस प्राधिकारी को अभ्यर्पित करेगा।

(5) जब कोई लाइसेंस खो जाय या नष्ट हो जाय तब लाइसेंसधारी इस तथ्य को लाइसेंस की संख्या का उल्लेख करके स्थानीय महत्वपूर्ण समाचार–पत्रों में या यदि कोई स्थानीय समाचार पत्र न हो तो राज्य के भीतर महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में तत्काल अधिसूचित करेगा और उन समाचार–पत्र की जिनमें इस तथ्य को अधिसूचित किया जाय, कतरन को लाइसेंस की दूसरी प्रति देने के लिए आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

विक्रय के लिए पौधों पर लेबिल लगाया जायेगा धारा–(11)

13– धारा–11 (ड.) के प्रयोजनों के लिए विक्रय के लिए अभिप्रेत फल के प्रत्येक पौधे पर समुचित रूप से लेबिल लगाया जायेगा और लेबिल पर फल पौधशाला का नाम, लाइसेंस संख्या, फल के पौधों का प्रकार और किस्म और पौधे की आयु सुपाठ्य दशा में मुद्रित किया जायेगा या हाथ से लिखा जायेगा। लेबिल को समुचित रूप स पौधे से बांध दिया जायेगा। यदि विक्रय के लिए अभिप्रेत फल का किसी एक प्रकार या किस्म का पौधा किसी पैकेज में पैक किया गया हो तो इसी प्रकार का लेबिल पैकेज के साथ नत्थी किया जायेगा।

लाइसेन्स धारी पौध"ााला का नक्"ाा रखेगा। धारा–(11)

14– (एक) लाइसेंसधारी पौधशाला का नक्शा रखेगा जिसमें मातृ पौधों की स्थिति तथा उनकी किस्म और प्रकार इंगित किया जायेगा। मातृ पौधों पर समुचित रूप से लेबिल लगाया जायेगा।

(दो)जिन क्यारियों में फल के पौधे विक्रय के लिए रखे जायें, उन पर लेबिल लगाया जायेगा, जिसमें फल के पौधों की किस्म लिखी होगी।

15– (एक) ऐसे मात पौधों के जिनसे उपरोपिका का उपयोग किया जाता है, स्रोत के उद्गम का अभिलेख प्रपत्र–6 में रखा जायेगा।

(दो) लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र में निम्नलिखित लेखाबही, रजिस्टर और अभिलेख रखेगा।

(एक) प्रपत्र सं0–7 में नकद रसीद बही,

(दो) प्रपत्र सं0–8 में स्टाक रजिस्टर,

(तीन) प्रपत्र सं0–9 में फल के पौधों का उत्पादन रजिस्टर।

प्रपत्र सं0–1
(नियम–4 (एक) देखिये)

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 1976 के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रः–

1– आवेदक/आवेदकों का नामः–
पुत्र
पुत्री
पता

2–(एक) पौधशाला का नाम एवं उसकी स्थिति,
डाकघर का पता,
थाना, रेलवेस्टेशन, जिला इत्यादि
(दो) स्वामियों के नाम
पितृ नाम और पता

3– पौधशाला का क्षेत्रफल, खसरा सं0 और भूमि का स्वामी (राजस्व अभिलेख की प्रति संलग्न कीजिए) और पौधशाला की सीमायें उल्लेखित की जायेंगी।
4– उत्पादन के लिए अभिप्रेत फल के पौधों का प्रकार और किस्म
5– उपलब्ध किस्मों सहित मातृ पौधों की आयु और संख्या
6– सिंचाई का स्रोतः
7– उस भूमि की मिट्टी का प्रकार जिसमें पौधशाला स्थित है।
8– कोषागार का नाम और यथाविधि, प्राप्त्यांकित कोषागार चालान(संलग्न) की संख्या, दिनांक और राशि।
9– अवधि जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित है।
10– मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यहॉ प्रस्तुत की गयी सूचना का विवरण मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है।
11– मैं/हम उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 1976 के उपबन्धों का पालन करने का बचन देता हूँ/देते हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर,

दिनांकः–

अवधेय– यह आवेदन पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगाः–
(1)– जहॉ फल पौधशाला किसी प्राइवेट व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा चलाइ जा रही हो, वहॉ उसके स्वामी व स्वामियों में से किसी एक द्वारा

या

(2)– जहॉ फल पौधशाला किसी निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाई जा रही हो, वहॉ उसके महाप्रबन्धक/प्रबन्धक द्वारा

या

(3)– जहॉ फल पौधशाला सहकारी समिति द्वारा चलाई जा रही हो, वहॉ उसके सचिव द्वारा ।

प्रपत्र संख्या–2
(नियम–6 देखिये)

(उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 1976 के अधीन)
लाइसेंस संख्याः

1– लाइसेंसधारी का नाम और पता
2– पौधशाला की स्थिति
3– इस लाइसेंस के अधीन उत्पादित किये जाने वाले फल के पौधों का प्रकार और किस्मः

लइसेंस उ0प्र0 पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 1976 के उपबन्धों के अधीन दिया जाता है और वह अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम में विर्निदिष्ट निबन्धनों और शर्तो के अधीन है।

स्थानः
दिनांकः

विधिमान्यता की अवधि	दी गयी लाइसेंस फीस	दी गयी नवीनीकरण फीस	पौधशाला का क्षेत्रफल	लाइसेंस अधिकारी का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

निबन्धन और शर्तें

1– फल पौधशाला की मिट्‌टी विशेष प्रकार के ऐसे फल के पौधों के, जिनके सम्बन्ध में लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाय, उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
2– फल पौधशाला में फल के पौधों के वानस्पतिक उत्पादन के लिए मातृ पौधों और मूल वृन्त है।
3– मातृ पौधे और मूल वृन्त रोग और नाशि कीट से मुक्त हैं।
4– रोग ओर नाशि कीट के संक्रमण को रोकने के लिए रोग निरोधक पौध संरक्षण प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
5– लाइसेंस को सदैव फल पौधशाला के परिसर में रखा जायेगा। लाइसेंस प्राधिकारी के मांगने पर निरीक्षण और जॉच करने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
6– लाइसेंस धारी पौधशाला के फल के पौधों, मातृ पौधों और मूल वृन्तों में किसी रोग या नाशिकीट के फैलने और उस रोग और नाशिकीट का नियंत्रण करने के लिए की गयी कार्यवाही की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी को देगा।
7– लाइसेंस धारी केवल उस पौधों का उत्पादन और विक्रय करेगा जिनके लिए लाइसेंस दिया गया है।
8– लाइसेंस धारी द्वारा तैयार की गयी और विक्रय के लिए प्रस्तुत की गयी कलमें निम्नलिखित वि"ाष्टियों की होगीः–

(एक) किसी फल के पौधे की आयु फल के पौधे की,यथास्थिति कलम लगाने या उसके बीज बोने के समय से तीन वर्ष से अधिक न होगी।
(दो) मूल वृन्त और उपरोपिका पूरी तरह से मिले हुए हैं।
(तीन) मूल वृन्त से उपरोपिका का संयोजन भू–तल से 30 से0मी0 से अधिक नहीं होगा।

9— लाइसेंस धारी उत्तर पदे"ा पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 में विहित प्रपत्रों में विभिन्न अभिलेख रखेगा।

10— लाइसेंस धारी उत्तर पदे"ा पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के विभिन्न उपबन्धों का पालन और अनुपालन करेगा और व्यतिक्रम या उल्लंघन करने की स्थिति में उसे अधिनियम की धारा—14 के अधीन यथा स्थिति, जुर्माने से, जो पॉच हजार रू0 तक हो सकता है या कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या दोनो से दंण्डित किया जायेगा।

11— ऐसे फलों के पौधों को, जो मानक के अनुसार नहीं होगे, लाइसेंस प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर देना होगा।

——

प्रपत्र संख्या–3
(नियम–9 देखिये)

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा–5 के अधीन लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्रः

1– (1) आवेदक का नाम, पिता का नाम व पताः
(2) स्वामी/स्वामियों का/के नाम, पिता का नाम और पताः

2– फल पौधशाला का नाम और स्थिति तथा डाक पताः
3– (1) ऐसे लाइसेंस की, जिसका नवीनीकरण वांछित हो, संख्या और दिनांकः
(2) वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति का दिनांकः

4– ऐसे फल के पौधों के जो वर्तमान लाइसेंस जारी किये जाने या नवीनीकरण के पश्चात उत्पादित किये जा रहे हो, प्रकार और किस्म में किसी परिवर्तन का व्योरा।
5– जमा की गयी फीस की राशि, कोषागार का नाम (सम्यक रूप से प्राप्त्यांकित संलग्न) कोषागार चालान की संख्या और दिनांकः
6– अवधि जिसके लिए लाइसेंस का नवीनीकरण वांछित है।
7– अन्य कोई सूचना जिसे /जिन्हें आवेदक देना चाहे/ चाहें।
8– मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें दी गयी सूचना/विवरण , मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है।
9– मैं/हम उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और ऐसे निर्देशों का भी जिन्हें लाइसेंस प्राधिकारी उक्त अधिनियम और नियमावली के अधीन समय–समय पर दें, पालन करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

दिनांकः– आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

अवधेयः– यह आवेदन–पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगाः–

(1)–जहॉ फल पौधशाला किसी प्राइवेट व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा चलाई जा रही हो, वहॉ उसके स्वामी या स्वामियों में से किसी एक स्वामी द्वारा,

या

(2)– जहॉ फल पौधशाला किसी निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाई जा रही हो, वहॉ महाप्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा,

या

(3)– जहॉ फल पौधशाला किसी सहकारी समिति द्वारा चलाई जा रही हो, वहॉ सचिव द्वारा।

प्रपत्र संख्या–4
(नियम–12(2) देखिये)

<u>उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन–पत्रः</u>

सेवा में,
लाइसेंस अधिकारी।

महोदय,
मैं/हम ....पुत्र/पुत्री (पुत्रियॉ) श्री ....निवासी ....डाकघर.............................थाना............................जिला....................बयान करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा लाइसेंस संख्याः..................धारा के अधीन दिनांकः...............को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में दिय गया।(जहॉ उन परिस्थितियों का उल्लेख किजिए जिनमें लाइसेंस खो गया/नष्ट हो गया/ क्षतिग्रस्त हो गया/ विरूपित हो गया/अपठनीय हो गया था)

2– अतएव मैं/हम आपसे अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि आप मुझे/ हमें उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, जिन पर उपर्युक्त स्वीकृत मूल लाइसेंस दिया गया था, लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी कर दें।
3– मैं /हम एतद्द्वारा ....रूपये (...........रूपये) की विहित फीस देने के सबूत में कोषागार चालान संलग्न करता हूँ/करते हैं।
4– मैं /हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें दिया गया विवरण या दी गयी सूचना मेरी /हमारी सर्वोत्तम जानकारी/विश्वास में सत्य है।
5– मैं/हम इसके साथ मूल लाइसेंस (जब लाइसेंस खो या नष्ट न हो गया हो) को भी अभ्यर्पित करता हूँ/करते हैं।

साक्षी (1)..,
साक्षी (2)..

(यहॉ दो साक्षियों का नाम और पता तथा उनका पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए)

भवदीय,

दिनांकः– आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर
समुचित धारा उल्लिखित और रेखांकित की जाय।

अवधेयः– आवेदन–पत्र में जो शब्द आवश्यक न हो, उन्हें काट दिया जाय।
यह आवेदन पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगाः–
(1)–जहॉ फल पौधशाला किसी प्राइवेट व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा चलाई जा रही हो, वहॉ उसके स्वामी या स्वामियों में से किसी एक स्वामी द्वारा,

या

(2)– जहॉ फल पौधशाला किसी निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाई जा रही हो, वहॉ महाप्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा,

या

(3)– जहॉ फल पौधशाला किसी सहकारी समिति द्वारा चलाई जा रही हो, वहॉ सचिव द्वारा।

प्रपत्र संख्या–5
(नियम–12(3) देखिये)

सेवा में ,

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन मुझे/हमें दिये गये लाइसेंस संख्या.................................दिनांक................................जिसे मैने/हमने खो दिया है, कि द्वितीय प्रति आज दिनांक... ....को लाइसेंस अधिकारी द्वारा दिये जाने के प्रतिफल में मैं/हम एतद्द्वारा स्वयं मेरे/हमारे उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक ऐसी किसी हानि या क्षति के लिए जो मूल लाइसेंस का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के कारण हो सकती है, उ0प्र0 सरकार को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हूँ/ ह और मैं/हम लाइसेंस प्राधिकारी को मूल लाइसेंस जब भी वह मुझे/हमें मिल जायेगा वापस करने का भी बचन देता हूँ/देते हैं,

और मैं /हम एतद्द्वारा आगे भी सहमत हूँ/हैं कि राज्य सरकार उपर्युक्त के अनुसार मुझसे/हमसे समस्त हानि या क्षति को भू–राजस्व को बकाया के रूप में वसूल करने की हकदार होगी।

दिनांकः.......................................20........ को ....में हस्ताक्षरित किया गया।
(निष्पादी) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

निम्नलिखित की उपस्थिति मेंः–

1–
2–
पता.................................

टिप्पणी– इस क्षति पूर्ति बन्द पत्र को उचित मूल्य के न्यायाधिकेतर स्टांम्प पत्र मूल्य पर निषादित किया जायेगा।

प्रपत्र संख्या–6
मातृ पौधों के सम्बन्ध में रजिस्टार
(नियम–15 देखिये)

पौधशाला का नाम...लाईसेंस संख्या...
...

मातृ पौधों का प्रकार और किस्म	मातृ पौधों की संख्या	स्रोत जहॉ से प्राप्त किया गया	किस वर्ष में प्राप्त किया गया	फल उत्पादन की क्षमता	फल की किस्म	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र संख्या–7
(नियम–15 देखिये)
नकद रसीद

पौधशाला का नाम..लाईसेंस संख्या.............. ....सर्व श्री ....से फल के पौधों की लागत के मददे केवल ....रूपय (...रूपये) की दर से धनराशि सधन्यबाद प्राप्त की।

दिनांकः..........................   हस्ताक्षर,

प्रपत्र संख्या–8
(नियम–15 देखिये)
स्टाक रजिस्टर

पौधशाला का नाम...लाईसेंस संख्या..

क्र0सं0	फल के पौधों का प्रकार और किस्म	कलम	बीजू पौध	जिसको बेचा गया उसका नाम व पता	नकद रसीद संख्या	बाकी संख्या
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र संख्या–9
(नियम–15 देखिये)
उत्पादन रजिस्टर

पौधशाला का नाम...लाईसेंस संख्या..

क्र0 सं0	फल के पौधों का प्रकार और किस्म	बोया गया बीज		उत्पन्न किये गये बीजू पौधे	उपरोपण जो किया गया		तैयार की गयी कलम (संख्या)
		दिनांक	परिणाम		दिनांक	संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8

:::::–समाप्त–::::::

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा–5 के अधीन लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र:

1– (1) आवेदक का नाम, पिता का नाम व पता:

(2) स्वामी/स्वामियों का/के नाम, पिता का नाम और पता:

2– फल पौधशाला का नाम और स्थिति तथा डाक पता:

3– (1) ऐसे लाइसेंस की, जिसका नवीनीकरण वांछित हो, संख्या और दिनांक:

(2) वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति का दिनांक:

4– ऐसे फल के पौधों के जो वर्तमान लाइसेंस जारी किये जाने या नवीनीकरण के पश्चात उत्पादित किये जा रहे हो, प्रकार ओर किस्म में किसी परिवर्तन का व्योरा।

5– जमा की गयी फीस की राशि, कोषागार का नाम (सम्यक रूप से प्राप्त्यांकित संलग्न) कोषागार चालान की संख्या और दिनांक:

6– अवधि जिसके लिए लाइसेंस का नवीनीकरण वांछित है।

7– अन्य कोई सूचना जिसे /जिन्हें आवेदक देना चाहे/ चाहें।

8– मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें दी गयी सूचना/विवरण , मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है।

9– मैं/हम उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और ऐसे निर्देशों का भी जिन्हें लाइसेंस प्राधिकारी उक्त अधिनियम और नियमावली के अधीन समय–समय पर दें, पालन करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

दिनांक:– आवेदक के हस्ताक्षर